¼okn la[;k&2522@14½

02.03.2020

परिवादी, नन्दलाल चौधरी, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, दिनांक–26.06.2014 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, नालन्दा श्री सिद्धार्थ मोहन जैन सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, एस0सी0आर0बी0, बिहार द्वारा जनता दरबार में परिवादी को अपमानित करने तथा उसके जाति के आधार पर उसके साथ अमर्यादित शब्द का प्रयोग करने से संबंधित है।

परिवादी ने अपने उक्त परिवाद–पत्र की एक प्रति महादलित आयोग, बिहार तथा बिहार राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को भी दी है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, नालन्दा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का अपने पड़ोसी रामावतार यादव, के साथ, दोनों के घरों के बीच स्थित तीन फीट चौड़ी गली को लेकर विवाद है जिसके संबंध में परिवादी द्वारा एक अपराधिक मामला अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, बिहार शरीफ में संस्थित किया गया है, जिसमें अन्वेषणोपरान्त, **साक्ष्य में कमी**, बताकर पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है। पूर्व में भी परिवादी द्वारा तीन अपराधिक मामले संस्थित किये गये जिन्हें पुलिस द्वारा अन्वेषणोपरान्त असत्य पाया गया है।

तत्पश्चात् आयोग द्वारा श्री सिद्धार्थ मोहन जैन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, नालन्दा से पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के माध्यम से मन्तव्य/स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री जैन, का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि परिवादी की माँ लक्ष्मिनिया देवी का नाम दिनांक–26.06.2014 के जनता दरबार के मुलाकाती पंजी में दर्ज है। जनता दरबार में उस दिन करीब 100 से 150 मुलाकातियों का नाम दर्ज है। इतने लोगों की मौजूदगी में

परिवादी के साथ अभद्रता या उसे उसकी जाति के नाम पर अपमानित करना संभव नहीं हो सकता है। उन्होंने परिवादी द्वारा लगाये गये सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

आज आयोग के समक्ष परिवादी से श्री जैन द्वारा उसे अपमानित करने के संबंध में युक्तिसंगत साक्ष्य की मांग की गयी। परिवादी का कथन है कि उसके पास इसका कोई साक्ष्य/प्रमाण नहीं है और न ही वह कोई साक्ष्य/प्रमाण दे सकता है क्योंकि कथित घटना के समय घटनास्थल पर मात्र वह तथा आरक्षी अधीक्षक, नालन्दा ही उपस्थित थे।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>